19 सूचना प्रौद्योगिकी पहलें/ई-गवर्नेंस

19.1 मंत्रालय में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उन्नत दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेन्स कार्यान्वित कराने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। योजना का मुख्य प्रयोजन मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में कम्प्यूटरीकरण बढ़ाने और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करना है। स्कीम के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान की गई है:-

- **मंत्रालय में लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) कनेक्टिविटी का विस्तार/उन्नयन।**
- **मंत्रालय के सभी अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण ।**
- **डी जी (एल डब्ल्यू) कार्यालय की पूरे देश में स्थित इसके नौ केन्द्रीय कार्यालयों से कनेक्टिविटी ।**
- **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को शुरू करना ।**
- **नेटवर्क चलाने और इसके प्रबंधन तथा डाटाबेस सृजन और प्रबंधन हेतु सॉफ्टवेयर की खरीद ।**
- **प्रयोक्ताओं के तकनीकी कौशलों को उन्नत बनाना ।**
- **मंत्रालय के सभी अधिकारियों और प्रशासन तथा महत्वपूर्ण अनुभागों को बहुद्देश्यीय प्रिन्टर मुहैया कराना ।**

19.2 सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु योजना निधियों के 2-3 प्रतिशत के प्रावधान हेतु योजना आयोग के निदेशों पर बनाई गई यह एक सतत रूप से जारी रहने वाली योजना है। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में कम्प्यूटरीकरण बढ़ाने और उनकी दक्षता में सुधार लाने के लिए अभियान शुरू करना है। इस स्कीम के लिए 10वीं योजना में 8 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है। 2007-2008 के दौरान मंत्रालय में बुनियादी सुविधाओं की खरीद के लिए 156.53 लाख रूपये खर्च किए गए।

19.3 इस योजना की प्रगति का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित अनुवीक्षण किया जाता है। योजना में सहायता करने, योजनाकरण प्रबंधन, क्रियान्वयन और समीक्षा हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक होता है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक यह भी सुनिश्चत करता है कि मंत्रालय में अनुप्रयोग माडयूलों के विकास में मानकों और विकास टूलों की एकरूपता रहे।

19.4 ई-गवर्नेन्स के महत्व को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नांकित कार्य प्रारंभ / पूर्ण किए हैं-

(i) श्रम कल्याण महानिदेशालय के अधिकार क्षेत्र वाले विभिन्न कार्यालयों की नेटवर्किंग शुरू की गई है।

(ii) राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों में समान पदों पर बैठे लोगों के साथ सम्पर्क के लिए मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा शुरू की गई है।इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है।

(iii) श्रम और रोजगार सचिव के कक्ष में एन आई सी द्वारा शानदार वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की गई है ताकि संपर्क प्रणाली और मजबूत हो।

(iv) मंत्रालय के अधिकतर अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है और लोकल एरिया नेटवर्क प्रणाली समुचित तरीके से

काम कर रही है।

(v) लोकल एरिया नेटवर्क प्रणाली को कुल 23.00 लाख रूपए की लागत से एन आई सी एस आई के जरिए और मजबूत बनाया जा रहा है।

(vi) कम्प्यूटर और वीडियो कांफ्रेंसिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(vii) लोक शिकायत निवारण और अनुवीक्षण प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया है। वैब समर्थित यह आनलाइन प्रणाली इंटरनेट पर शिकायत दर्ज कराने और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होने में समर्थ बनाती है।

(viii) दस्तावेज प्रबंधन सूचना प्रणाली फाइलों और आवतियों का पता लगाने और मंत्रालय/प्रभागों के अनुभागों / विभाग द्वारा कागजात के लंबन के प्रभावी अनुवीक्षण में सक्षम बनाती है। इस प्रणाली को अभिलेख प्रबधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इस प्रणाली से प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख कक्ष में रखी फाइलों/रिकार्डों को अपने व्यक्तिगत कम्प्यूटरों पर देख सकते हैं।

(ix) एन आई सी के सहयोग से मंत्रालय की वैबसाइट को नया रूप देने के प्रयास जारी हैं ताकि यह अधिक गतिशील और अंत:सम्पर्की बन सके।

(x) श्रम और रोजगार मंत्रालय के पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु लिबसिस साफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है।

(xi) श्रम और रोजगार मंत्रालय में बेहतर संचार और सुविधायुक्त नई इपीएबीएक्स प्रणाली लगाई गई है।